न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

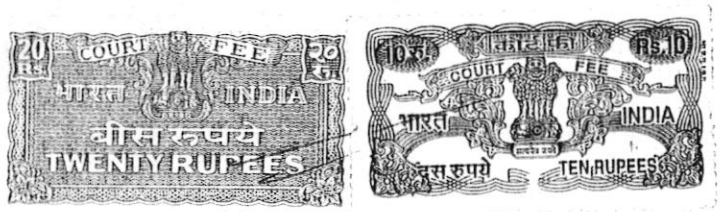

1– छकौड़ी लाल चिकवा तनय लोल्ला चिकवा उम्र 70 वर्ष

2– नारेन्द्र चिकवा तनय छकौड़ी लाल चिकवा उम्र 35 वर्ष

दोनो निवासी चिकान टोला , थाना सिटी कोतवाली , तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ————निगरानीकर्ता गण

बनाम

1– आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा (म0प्र0)

2– डा0आर0के0 सोनी तनय चन्द्रलाल सोनी निवासी मकान नं. 15 बार्ड नं 29 बाबा कटरा , मधुर मार्ग रीवा , तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

———— गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के द्वारा प्र0क09/निग0/15–16 आदेश दिनांक 19–5–2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0 सं01959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–16 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कलेक्टर महोदय रीवा के द्वारा प्रकरण कमांक 10अ–20(1)/निगरानी / 13–14 मे पारित आदेश दिनांक 28–7–15 के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया था । कलेक्टर महोदय द्वारा झूठी शिकायत के आधार पर निगरानी कर्ता गण की पुस्तैनी स्वत्व अधिपत्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5248–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 09/निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया से स्पष्ट है कि कलेक्टर रीवा द्वारा नजूल अधिकारी को आदेशित किया है कि शासकीय रिकार्ड में की गई कूट रचना की विस्तृत जांच कर दोषियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये। कलेक्टर के आदेश को आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। कलेक्टर द्वारा नजूल अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिये हैं जहां आवेदक को अपने स्वत्व एवं हक के संबंध में पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में कोई अवैधानिकता नहीं की है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	